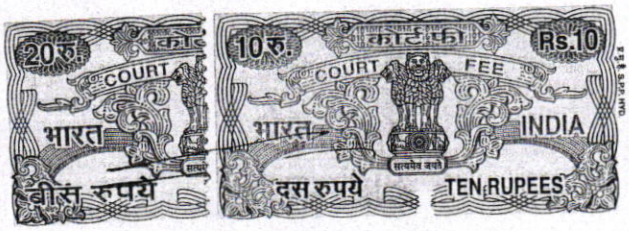

118

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

नि ग 3482-I-16

1. जानकी बाई नाथ पत्नि विद्यानाथ
2. अनारी नाथ तनय विद्यानाथ

निवासी ग्राम कदारी तह. व जिला छतरपुर

................निगरानीकर्ता / आवेदक

श्री नितेन्द्र सिंघई, एड. 5/X/16 द्वारा दिनांक को प्रस्तुत। 5-10-16

विरूद्व

म.प्र.शासन

..........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एंव धारा 165 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

170 05.X.16

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 547 / बी–121 / 13–14 से तथा तहसीलदार छतरपुर के आदेश दिनांक 8 / 10 / 15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कदारी स्थित भूमि खसरा क्र 383 रकवा क्रमशः 0.550 हे. भूमि आवेदकगण के पिता को पट्टे पर प्राप्त भूमि है जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त हेतु आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि उपजाउ ना होने से वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहे है साथ ही उसे अपने बच्चों का विवाह व व्यवसाय स्थापित करना है जिसके आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार छतरपुर को प्रेषित किया गया परंतु तहसीलदार छतरपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के स्थान पर प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त किए जाने का विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है। जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

(नितेन्द्र सिंघई एड. 94251-71823)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3482/I/16 जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-10-2016	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र.547/बी–121/वर्ष 13–14 में पारित तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/10/15 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। 3– आवेदकगण के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल. जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 4– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण की भूमि ग्राम मौजा कदारी तह. व जिला छतरपुर स्थित खसरा क्र 383 रकवा क्रमशः 0.55 हे भूमि आवेदकगण के पिता को बंटन में प्राप्त भूमि है तथा वर्तमान में आवेदकगण के नाम पर दर्ज भूमि है। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार छतरपुर को प्रेषित किया गया परंतु तहसीलदार छतरपुर द्वारा विधि विपरीत रूप से प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है जिस कारण यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया था कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि अनउपजाउ है जिस कारण से उनको उसपर काश्तकारी करने में अत्याधिक कठनाई हो रही है तथा वह ठीक तरीके से काश्तकारी नहीं कर पा रहे है जिस कारण से उनको आर्थिक हानि हो रही है इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। आवेदकगण का यह भी तर्क है कि चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त अपने निवास स्थान के समीप अन्य भूमि क्रय करेगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है । 5— आवेदकगण के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदकगण द्वारा विकय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उनके द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 5/7/14 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु तहसीलदार छतरपुर को प्रेषित किया गया ऐसी स्थिति में तहसीलदार छतरपुर को प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, तहसीलदार छतरपुर को अपना जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में प्रेषित करना चाहिए था। आवेदक क्र 1 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के स्थान पर अन्य भूमि अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगे इस प्रकार उसके पास वर्तमान में	

 R3482-I/16 छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह तहसीलदार छतरपुर का आदेश दिनांक 8/10/15 निरस्त किए जाता है परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है आवेदकगण को भूमि खसरा क्र 383 रकवा 0.550 हे को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	